अति तत्काल
आर टी आई मामला

सं. 14036/390/2013-यू टी पी
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
* * *

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक: 30/5/ 2013

सेवा में

श्री सुरेश चन्द,
सुपुत्र श्री रेवती लाल,
सी-1/113, सुल्तानपुरी,
दिल्ली-110086

विषय: **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आपका दिनांक रहित आवेदन।**

महोदय,

मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आपका ऊपर उल्लिखित आर टी आई आवेदन (इस अनुभाग में 17.5.2013 को प्राप्त) का उल्लेख करने का निदेश हुआ है।

2. इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि आपने अपने आर टी आई आवेदन में कोई सूचना नहीं मांगी है। अत: सूचना शून्य है।

3. इस उत्तर के संबंध में गृह मंत्रालय में अपील प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम श्री के.के. पाठक, संयुक्त सचिव (यू टी), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली है।

भवदीया,

30.05.13
(एस. सुधा)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं
अवर सचिव (डी पी-II)
दूरभाष : 23092856

Received
1606
15/6

RTI Act 2005

गृह मंत्री का कार्यालय प्राप्त किया 08 MAY 2013 RECEIVED Home Minister's Office

BY SPEED POST

SP 101866 8/5/13

सेवा में,

श्रीमान Home Minister Central Government

South Block, New Delhi - 110001

3073/RTI/2013 14/5/13

विषय :- अपने लड़के के एक्सीडेंट की सही प्रकार से जाँच की माँग तथा पुत्रवधु द्वारा सुसरालवालों को परेशान करने हेतु शिकायत पत्र।

महोदय,

सविनय निवेदन यह है कि मैं **सुरेशचन्द पुत्र स्व. रेवती लाल निवासी सी-1/113 सुल्तान पुरी दिल्ली-110086** मैंने दिनांक **19.02.2012** को अपने पुत्र **विजय पुत्र सुरेशचन्द** का विवाह **सीमा पुत्री मोहरपाल निवासी सी-3/399-400 सुल्तान पुरी दिल्ली-110086** से किया था विवाह के एक महीने बाद से ही उसने हम सभी के साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया थ। झगड़े की वजह उसका पुरी रात फोन पर लड़को से बाते करना था। बात-बात पर अपने घरवालों को बुलवा कर मेरे पुत्र को पिटवा देती थी। कई बार अपने भाई द्वारा जान से मरवाने की धमकियाँ भी दिलवाई व चाकू से एक बार हमला भी करवाया। जब भी हमने अपने घर की इज्जत कारण कोई पुलिस कार्यवाही नही की। **दिनांक 29.12. 2012 को मेरे पुत्र का BAWANA, INDUSTRIES AREA, LABOUR CHOWK**, गोल चक्कर पर एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसकी मौत हो गई। परन्तु हमें शक है कि यह एक्सीडेंट मेरी पुत्रवधु के घरवालों के द्वारा करवाया गया।

शक का कारण :-

1. हमसे छुपाकर मेरी पुत्रवधु के पास तीन फोन थे जिसका पता मेरे पुत्र को भी नहीं था जिसका पता हमें मौत के बाद हुआ।
2. मेरी पुत्रवधु के घरवालों द्वारा कई बार जान से मरवाने की धमकियां देना।
3. मेरे पुत्र की मौत होने के बाद हमारे घर के सभी फोन तुरंत Disconnect कर दिए गए।
4. पुलिसवालों द्वारा कार्यवाही न करना।

JS(PM)

जनवरी 2013 से मेरी पुत्रवधु अपने घर गई हुई है जब मैं व मेरी लड़कियाँ पढ़ने और लड़का काम पर चले जाते है तब वह पीछे से मेरी **पत्नी पुष्पा देवी** जो **आँखों से विकलांग** है के पास आती है

DS(E)

8/5/2015

Delhi Police

US(DP-II)

व किसी न किसी बहाने से अपने कमरे की चाबी माँग कर अपने व हमारे जेवर और मेरे पुत्र के सभी पैसे ले कर अपने घर चली गई। हमारे द्वारा जब उसे कोई भी लेने जाता है तब वह आने को मना कर देती है कहती है मुझे नही जाना उस घर में, अब वह मेरा घर नही है। और न ही मेरा अब तुम लोगो से कोई रिश्ता है जब हमारा पुत्र जीवित था जब भी वह इसी प्रकार लड़ाई-झगड़ा करके अपने घर चली जाती थी। उसका चरित्र ठीक नही है यह बात जानते हुए भी हम उसे अपने घर लाना चाहते है पर वह मना करती है और हमारी बेज्जती करती है पीछे से जब हम घर पर नहीं होते है तब मेरी **विकलांग पत्नी** को अपने पिता व भाई द्वारा धमकियाँ भिजवाती है कि तेरे **एक लड़के** को तो **मरवा** दिया **दूसरे को** भी **मरवा** देंगे, तो कभी तेरी लड़कियों को उठवा देंगे। इसी तरह की धमकियाँ दिलवाती है आपसे विनम्र निवेदन यह है कि आप हमारे निवेदन को स्वीकार करे ताकि भविष्य में हम पर किसी भी प्रकार की समस्या न आए तथा इस पर जल्द से जल्द तथा उचित कार्यवाही करने की कृपा करे।

धन्यवाद

हम किसी प्रकार का मुआवजा नही चाहते तथा हम तो उचित कार्यवाही चाहते है। पुलिस द्वारा उचित कार्यवाही नही करने पर हमारा केस सी.बी.आई को सौपा जाए।

पुलिस द्वारा केस बन्द करने का हम पर दबाव बनाया जा रहा है।

प्रार्थी

सुरेशचन्द

सुरेशचन्द पुत्र रेवती लाल

सी-1/113 सुल्तान पुरी

दिल्ली-110086